

राजस्व लोक अदालत-2015

लोक अदालत के समक्ष
स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादी:-गुमान पुत्र अमरा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील देवली

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी:-तहसीलदार देवली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की कार्यवाही संख्या:-79/2014

उपरिस्थित:-श्री महेश भारद्वाज, अभिभाषक अपी0/श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्प0

अध्यक्ष का नाम:-

श्री भगवान सहाय शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य का नाम:-

अभिभाषक श्री रामदेव बैरवा.

अधिनिर्णय

दिनांक 17.06.2015.

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट तहसीलदार देवली के समक्ष इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसका विवादित भूमि पर कोई पक्का निर्माण नहीं है, भौतिक रूप से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। तहसीलदार भी जांच कर सुनिश्चित कर लें कि अपीलाण्ट को विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में तहसीलदार देवली का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

याची/वादी/परिवादी

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
सदस्य
(रामदेव बैरवा ऐ.)

[Handwritten signature]

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

[Handwritten signature]

अध्यक्ष

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक